भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. 2325

03.08.2026 को उत्तर के लए

बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने के लए उपाय

2325. श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या दिल्ली के व भन्न हिस्सों में, वशेषकर नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और उनके निकटवर्ती सरकारी कार्यालयों में बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने में दिल्ली की नागरिक एजें सयाँ वफल रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है क बंदरों के झुंड अक्सर घरों में घुस आते हैं, रसोई से खाना छीन लेते हैं, सैटेलाइट डश को नष्ट कर देते हैं तथा बाहरी फटिंग, टेलीफोन के तारों आदि को नुकसान पहुंचाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लए इम्यून-कॉन्ट्रासेप्शन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के लए फंड उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि हाँ, तो वगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराए गए फंड का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू और इसके निकटवर्ती सरकारी कार्यालयों में बंदरों के खतरे को रोकने के लए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) से (ङ): दिल्ली के व भन्न क्षेत्रों में मानव-वानर संघर्ष की घटनाओं में मुख्यरूप से रीसस मकाक प्रजाति के बंदर शा मल हैं, जो वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972 के तहत संर क्षत नहीं हैं। अतः इनका प्रबंधन स्थानीय नगर निकायों द्वारा अपने-अपने अ धकार क्षेत्र में लागू प्रासं गक कानूनों /अ धनियमों के प्रच लत प्रावधानों तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 14 मार्च, 2007 के निर्देशों के अनुसार कया जाता है।

तथा प, मंत्रालय देश में वन्यजीवों एवं उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लए एकीकृत वन्यजीव पर्यावास का वकास संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वत्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष का शमन शा मल है। इसके अंतर्गत सम र्थत गति व धयों में वन्यजीवों द्वारा होने वाली क्षति, जिसमें पशुओं को उठा ले जाना, फसलों की क्षति, जन-हानि तथा संप त्त की हानि शा मल है, को रोकने के लए पूर्व चेतावनी प्रणा लयों की खरीद, सौर ऊर्जा सम र्थत वद्युत फैं संग, बायो-फैं संग, खाइयों, चारदीवारों तथा अन्य भौतिक अवरोधों का निर्माण एवं स्थापना शा मल है। इसके अलावा, मानव-वन्यजीव संघर्ष के शमन के लए सामुदायिक प्रतिनि धयों सहित त्वरित कार्रवाई दल भी तैनात कए जाते हैं। पछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई नि धयों का ववरण संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने के लए उपाय के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लए पूछे गए लोक सभा अतारां कत प्रश्न सं. 2325 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लि खत ववरण।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 'वन्यजीव पर्यावासों का वकास' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई नि धयों का ववरण।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0*	0*	0*
2	अरुणाचल प्रदेश	672.462	1044.819	1456.2773
3	असम	565.10763	1234.4652	791.99959
4	बिहार	336.37223	0*	66.69278
5	चंडीगढ़	16.498	0*	0*
6	छत्तीसगढ	116.24868	135.58248	16.80041
7	गोवा	50.10	66.44425	0*
8	गुजरात	206.99	801.58248	371.54061
9	हरियाणा	167.85	232.9722	205.32605
10	हिमाचल प्रदेश	94.15328	172.31067	80.14962
11	जम्मू एवं कश्मीर	69.57972	73.97099	53.15445
12	झारखंड	14.91025	71.93619	4.818
13	कर्नाटक	581.52346	800.8205	380.74875
14	केरल	921.0361	909.63915	597.24019
15	मध्य प्रदेश	471.81959	740.89064	307.5062
16	महाराष्ट्र	554.69645	622.0670	497.75553

17	म णपुर	231.72407	261.70605	0*
18	मेघालय	243.56611	389.5938	35.50804
19	मजोरम	304.207	344.3258	532.43616
20	नागालैंड	1306.3275	1490.04	998.905
21	ओ डशा	1005.08612	1108.46011	785.36118
22	राजस्थान	0*	0*	417.55485
23	सक्किम	187.03237	221.17	250.9924
24	त मलनाडु	373.8902	661.78722	241.73035
25	तेलंगाना	0*	0*	39.61404
26	उत्तर प्रदेश	290.64425	393.86725	389.51196
27	उत्तराखंड	498.497	652.470665	285.38853
28	पश्चिम बंगाल	385.29988	183.14895	436.42348
29	पुदुचेरी	5.22	0*	0*
30	लक्षद्वीप	124.655	217.185	260.7662
31	त्रिपुरा	186.05514	339.4863	15.39162
32	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	6.00	0*	0*
	उप योग-I	**9987.55203**	**13170.741895**	**9519.59329**

* कुछ मामलों में नि ध जारी नहीं की गई, क्यों क व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कया गया, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए अथवा प्राप्त प्रस्ताव प्रच लत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।